

**न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:-दिलीप सिंह**

आर.सी.एस.ए-300097 / 2014
संस्थित दिनांक-29.09.2014
फाई. क.234503007252014

हीरनबाई आयु 40 वर्ष पति श्री थानसिंह जाति तेली
निवासी ग्राम सायल तह. बिरसा जिला बालाघाट

.....वादिनी

- / / विरुद्ध / / -

- 1.अगरसिंह आयु 60 वर्ष पिता नवलसिंह जाति तेलीप (फौत)
- 1अ-साहेबलाल आयु लगभग 38 वर्ष पिता अगरसिंह जाति तेली
निवासी-ग्राम मानेगांव तह. बिरसा जिला बालाघाट म.प्र.
- 1ब-हंसुईयाबाई आयु लगभग 26 वर्ष पिता अगरसिंह (पति दानीलाल)
जाति तेली निवासी ग्राम पीपरटोला तह. बिरसा जिला बालाघाट म.प्र.
- 1स-हंसकुंवरबाई आयु लगभग 30 वर्ष पिता अगरसिंह (पति छबीलाल)
जाति तेली निवासी रामपुर तह. छुईखदान जिला राजनांदगांव छ.ग.
- 2-रमेश आयु 18 वर्ष पिता साहेबलाल जाति तेली
- 3-रामेश्वर आयु 15 वर्ष पिता साहेबलाल जाति तेली
- 4-भुपेश आयु 09 वर्ष पिता साहेबलाल जाति तेली
- क्रमांक-03 व 04 नाबालिक वली पिता साहेबलाल पिता
अगरसिंह निवासी मानेगांव तह. बिरसा जि. बालाघाट
- 5-मध्यप्रदेश राज्य तर्फे श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट
- 6-राजिम बाई आयु 55 वर्ष पति धीरजलाल जाति तेली
निवासी ग्राम साल्हेवाड़ा तह. बिरसा जि. बालाघाट

.....प्रतिवादीगण ।

- / / निर्णय / / -
(आज दिनांक-28.10.2017 को घोषित)

1. वादिनी ने यह वादपत्र स्वत्व घोषणा एवं संशोधन क. 20 आदेश दिनांक-06.3.2014 को प्रभावशून्य घोषित करने एवं बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया है।
2. वादिनी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिक-1 वादिनी का मामा है, प्रतिक-2, 3, 4 प्रतिक-1 के नाती हैं। प्रतिक-6 वादिनी की माँ के प्रथम पति से उत्पन्न संतान हैं। वादपत्र के पैरा-2 में वादिनी के वंशवृक्ष का उल्लेख है। वादिनी की माँ सामकुंवरबाई एवं प्रतिक-1 के पिता नवलसिंह के नाम पर ख. नं-29 रकबा 2.222 हे., ख.नं-31 रकबा 0.809 हे., ख.नं-12/26 रकबा 0.049 हे., ख.नं-12/3 रकबा 0.165 हे., ख.नं-79/4 रकबा 0.566 हे., कुल रकबा 3.811 हे. भूमि मौजा मानेगांव प.ह.नं-02 रा.नि.मं. दमोह तह. बिरसा जिला बालाघाट स्थित होकर उक्त भूमि राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी। विवादित भूमि मूल पुरुष

नवलसिंह के फौत होने के पश्चात् फौती दाखिला में सामकुंवरबाई एवं अगरसिंह के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई थी। वादिनी की माँ सामकुंवरबाई की मृत्यु दिनांक-15.12.2010 को हुई थी, उसके फौत होने के पश्चात् प्रति.क्र-1 द्वारा सामकुंवरबाई का नाम फौती दाखिला से कटवाकर अपना नाम दर्ज करवा लिया था। वादिनी विवादित भूमि पर फौती दाखिला करवाकर बंटवारा कराने के लिए प्रति.क्र-1 के पास गई थी तो प्रति.क्र.-1 ने वादिनी से कहा था कि मानेगांव की भूमि पर वादिनी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादिनी की माँ का भी नाम नहीं होने का कहा था। प्रति.क्र.-1 ने एवं उसके वारसानों का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवा लिया है। वादिनी को पटवारी के पास जाकर राजस्व प्रलेखों का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि प्रति.क्र.-1 ने अपने नाम पर 1.00 एकड़ भूमि एवं शेष भूमि अपने नातियों प्रति.क्र.-2, 3 एवं 4 के नाम पर बंटवारा करा चुका है। विवादित भूमि वादिनी की माँ सामकुंवरबाई के हक-हिस्से में प्राप्त हुई थी, जिसमें शामिल सरिक वादिनी की माँ सामकुंवरबाई एवं प्रति.क्र.-1 अगरसिंह का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज था। विवादित भूमि पर प्रति.क्र.-1 एवं वादिनी की माँ सामकुंवरबाई एवं उसके प्रथम पति से उत्पन्न संतान प्रतिवादी क्र-6 राजिम बाई का 1/3, 1/3 अंश है। प्रति.क्र.-1 द्वारा गैरकानूनी ढंग से विवादित भूमि का बंटवारा कराकर सामकुंवरबाई का नाम विलोपित करवाकर संशोधन पंजी क्र.-20 दिनांक-06.03.2014 के द्वारा अपने नातियों के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवा लिया था। वादिनी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रति.क्र. 1 लगा. 4 ने वादिनी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर उनके विशेष कथन में बताया है कि मूल पुरुष नवलसिंह के स्वामित्व में ख.नं-29 रकबा 2.22 हे., ख.नं-31 रकबा 0.809 हे., ख.नं-12/26 रकबा 0.049 हे. भूमि थी, जिसमें से ख.नं-12/26 में नवलसिंह का मकान हाताबाड़ी स्थित भूमि बर्दा पड़त भूति थी। उक्त भूमि नवलसिंह के फौत होने के पश्चात् उसकी पत्नी सेवन्तीबाई के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई थी। सेवन्तीबाई के फौत होने के पश्चात् सामकुंवरबाई द्वारा अपना हक छोड़ देने से अगरसिंह प्रति.क्र.-1 का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ था, तब से प्रति.क्र.-1 उपरोक्त भूमि पर मालिक काबिज चला आ रहा है। वादिनी की माँ सामकुंवरबाई ने अगरसिंह से अलग से अपना हिस्सा प्राप्त किया था, हिस्से के रूप में अगरसिंह ने वादिनी के पिता समरू के नाम से 1.50 ए. भूमि क्रय कर दी थी। इस कारण सामकुंवरबाई ने अपना हिस्सा प्राप्त कर लेने के कारण उसके जीवनकाल में कोई हिस्सा प्राप्त करने दावा नहीं किया गया। प्रति.क्र.-1 ने स्वयं की कमाई से ख.नं12/3 रकबा 0.165 हे. भूमि सोनू से

दिनांक-16.05.77 को क़य की थी एवं ख.नं.-79/4 रकबा 0.566 हे. भूमि भीकमलाल से दिनांक-26.02.85 को क़य कर कब्जा एवं स्वामित्व प्राप्त किया है, जिसे भी वादिनी ने अपने दावे में पैतृक संपत्ति दर्शित कर यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रति.क्र.01 से 4 ने वादिनी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रति.क्र. 1अ, 1ब, 1स ने वादिनी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी का वाद अस्वीकार कर उनके विशेष कथन में बताया है कि वादिनी की माँ सामकुँवरबाई के दो विवाह हुए थे। प्रथम पति मेहतर से प्रति.क्र.-6 राजिम बाई उत्पन्न हुई थी तथा द्वितीय पति समरू से वादिनी हिरनबाई उत्पन्न हुई थी। सामकुँवरबाई को उसके जीवनकाल में 1.50 एकड़ भूमि द्वितीय पति समरू के नाम से क़य कर दे दी थी तथा वादग्रस्त भूमि में सामकुँवरबाई का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं था। ख.नं.-29 रकबा 5.49 ऐ., ख.नं.-31 रकबा 2.00 ऐ. एवं ख. नं.-12/26 रकबा 0.12 भूमि प्रति.क्र.-1 अगरसिंह एवं सेवन्तीबाई पति नवलसिंह के शामिल-सरीक खाते की भूमि थी। सेवन्तीबाई, नवलसिंह के साथ ही निवास करती थी और फौत हुई थी। सामकुँवरबाई को 1.50 ऐ. भूमि अलग से क़य कर हिस्से में दे दी गई थी, इसलिए पैतृक भूमि पर उसका हक एवं अधिकार नहीं रहा था तथा उपरोक्त भूमि सेवन्तीबाई एवं अगरसिंह के संयुक्त हक की भूमि थी, जिसमें अगरसिंह व सेवन्तीबाई का आधा-आधा हिस्सा था। सेवन्तीबाई की मृत्यु के पश्चात् उसके सभी वारसानों का समान अधिकार था, परन्तु सामकुँवरबाई को उसके जीवनकाल में 1.50 ऐ. भूमि क़य कर दे दी गई थी। इसलिए उसने उक्त भूमि पर उसके जीवनकाल में कोई दावा पेश नहीं किया था। कुल रकबा 7.61 ऐ. भूमि में से आधी 3.30½ ऐ. भूमि पर सेवन्तीबाई की मृत्यु के पश्चात् उसके वारसान अगरसिंह व सामकुँवरबाई को समान अधिकार प्राप्त होना था, जो लगभग 1.50 ऐ. भूमि होती है एवं 1.50 ऐ. भूमि पर पैतृक हक अनुसार वादिनी एवं प्रति. क्र.-6 का समान अधिकार है, 1.50 ऐ. भूमि वादिनी के पिता समरू के जीवनकाल में अगरसिंह ने खरीद कर दे दी थी। प्रति.क्र. 1अ, 1ब, 1स ने वादिनी के वादपत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. प्रति.क्र.-6 ने वादिनी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर जवाबदावा में अधिकतर उन्हीं तथ्यों को दोहराव किया है, जो प्रति.क्र.-1 लगायत प्रति.क्र.-4 ने उनके जवाबदावे में किया है।

6. प्रकरण में प्रति.क्र.-5 दिनांक-20.11.14 को एकपक्षीय हो गया है। इस कारण प्रति.क्र.-5 की ओर से वादिनी के वादपत्र का जवाब नहीं दिया है।

7. प्रकरण में तत्कालीन पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा मानेगांव प.ह.नं-2, रा.नि.मं. दमोह, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 29, 31, 12/96, 12/3, 79/4 रकबा क्रमशः 2.222, 0.809, 0.049, 0.165, 0.566 हेक्टेअर भूमि पर वादी को स्वत्व प्राप्त है ?	“आंशिक रूप से प्रमाणित”
2	क्या उक्त विवादित भूमि पर वादी को 1/3 अंश का पृथक से बंटवारा कराकर आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार है ?	“आंशिक रूप से प्रमाणित”
3	क्या संशोधन पंजी क्रमांक 20 आदेश दिनांक-06.03.2014 अवैध होने से प्रभावशून्य है ?	“प्रमाणित”
4	सहायता एवं व्यय ?	वादिनी का वादपत्र निर्णय की कंडिका-14 के अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

वादप्रश्न क्रमांक-01 व 2 का निराकरण:-

8. वादिनी हिरनबाई वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में बताया है कि उसकी माँ सामकुंवरबाई एवं उसके मामा प्रतिक-1 अगरसिंह के पिता नवलसिंह के नाम पर ग्राम मानेगांव में ख.नं-29 रकबा 2.222 हे., ख.नं-31 रकबा 0.809 हे., ख.नं-12/26 रकबा 0.049 हे. दर्ज थी। नवलसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् उक्त विवादित भूमि फौती दाखिला में उसकी माँ एवं अगरसिंह के नाम पर दर्ज हुई थी। विवादित भूमि खानदानी भूमि है। विवादित भूमि पर वादिनी, प्रतिक-1 एवं प्रतिक-6 ने स्वयं का हक बताया है। वादिनी की माँ का प्रथम विवाह ग्राम रमगढ़ी के मेहतर के साथ हुआ था, जिससे प्रतिक-6 उत्पन्न हुई थी। विवाह के पश्चात् वादिनी की माँ के प्रथम पति मेहतर की मृत्यु होने के पश्चात् वादिनी की माँ का द्वितीय विवाह समरू के साथ हुआ था। उसके पश्चात् वादिनी की माँ नवलसिंह के मकान में निवास करती थी एवं विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर कास्त करती थी। वादिनी के मामा अगरसिंह शारीरिक रूप से कमजोर थे, इस कारण वादिनी की माँ विवादित भूमि की देखरेख करती थी। वादिनी की माँ सामकुंवरबाई की दिनांक-15.12.2010 को मृत्यु

हो गई है। वादिनी की माँ की मृत्यु के बाद प्रति.क-1 ने राजस्व प्रलेखों से वादिनी की माँ का नाम कटवाकर फौती दाखिला में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। विवादित भूमि पर वादिनी की माँ एवं प्रति.क-1 का नाम शामिल-सरीक होकर राजस्व प्रलेख में दर्ज था। वादिनी की माँ की मृत्यु होने के बाद प्रति.क-1 ने वादिनी की माँ का नाम राजस्व प्रलेखों में विलोपित कराकर एवं भूमि का बंटवारा कराकर ख.नं-31 में से 1 एकड़ भूमि पर स्वयं के हक हिस्से एवं संशोधन क-20 दिनांक-06.03.2014 के द्वारा शेष भूमि में अपने नातियों के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवा लिया है। वादिनी ने विवादित भूमि में जन्म से अपना अधिकार बताया है। विवादित भूमि का प्रति.क-1 ने उसके नातियों के बीच बंटवारा कर दिया है। उक्त बंटवारा वादिनी पर बंधनकारी नहीं है। वादिनी की इस साक्ष्य का समर्थन वादिनी के साक्षी थानसिंह वा.सा.2, कन्हैयालाल टेम्भरे वा. सा.3, रामचरण मरकाम वा.सा.4, नंदलाल मरठे वा.सा.5 ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है। वादिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख प्रदर्श पी-1, संशोधन पंजी क-20 दिनांकित-06.03.2014 प्रदर्श पी-2, वर्ष 2014-15 के खसरा पांचसाला, किशतबंदी खतौनी प्रदर्श पी-3 लगायत पी-5, भूमियों के नक्शे के प्रिंट आउट प्रदर्श पी-6 लगा. 8, वर्ष 2013-14 का खसरा पांचसाला प्रदर्श पी-9, वर्ष 2013-14 की किशतबंदी खतौनी प्रदर्श पी-10 लगा. 12 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है।

9. साहेबलाल प्र.सा.1 ने खण्डन में स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में बताया है कि वादिनी ने प्रति.क-1 के साथ कभी निवास नहीं किया था। भूमि ख. नं-29 रकबा 5.29 एकड़, ख.नं-31 रकबा 2.00 एकड़, ख.नं-12/26 रकबा 0.12डी. भूमि स्व. अगरसिंह एवं सेवन्तीबाई के पति नवलसिंह की शामिल-सरीक खाते की भूमि थी। सेवन्तीबाई की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त भूमि पर स्व. अगरसिंह उसके जीवनकाल में मालिक काबिज रहा था। उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त साक्षी एवं प्रति.क-1 के अन्य पुत्र-पुत्री काबिज चले आ रहे हैं। सामकुँवरबाई को उसके जीवनकाल में 1.50 एकड़ भूमि पति समरु के नाम से क्रय कर स्व. अगरसिंह ने उसका हिस्सा दे दिया था। इस कारण सामकुँवरबाई ने उसके जीवनकाल में कोई दावा पेश नहीं किया था। ख.नं-29,31 एवं 12/26 कुल रकबा 7.61 एकड़ भूमि सेवन्तीबाई एवं स्व. अगरसिंह की शामिल-सरीक के हक की भूमि है, जिसमें से आधी भूमि 3.30 एकड़ भूमि अगरसिंह की भूमि थी तथा शेष 3.30 एकड़ भूमि में सेवन्तीबाई के वारसान अगरसिंह व सामकुँवरबाई को समान अधिकार प्राप्त होना था, जो लगभग 1.50 एकड़ भूमि होती है। वादिनी की माँ सामकुँवरबाई के पति समरु के नाम से 1.50 एकड़ भूमि स्व. अगरसिंह एवं

सेवन्तीबाई द्वारा खरीदकर दी थी, इसलिए सामकुंवरबाई का हक समाप्त हो चुका है। ख.नं-12/3 रकबा 1.165 एकड़ भूमि अगरसिंह ने अपने जीवनकाल में स्वयं की कमाई से सोनसिंह से दिनांक-13.05.1977 को क़य कर कब्जा प्राप्त किया था एवं भिकमलाल से दिनांक-26.02.1985 को ख.नं-79/4 रकबा 0.566 एकड़ भूमि क़य कर कब्जा एवं स्वामित्व प्राप्त किया था, वह अगरसिंह की भूमि है, जिस पर उक्त साक्षी के पिता का उसके जीवनकाल से कब्जा है। उक्त साक्षी की साक्ष्य का समर्थन उसके साक्षी प्रमलाल प्र.सा.2 एवं दयाराम प्र.सा.3 ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है। प्रतिवादीगण ने उनके पक्ष समर्थन में दिनांक-26.02.1985 के विक्रयपत्र की प्रति प्रदर्श डी-1, दिनांक-16.05.1977 के विक्रयपत्र प्रदर्श डी-2 एवं दिनांक-16.06.1980 के विक्रयपत्र प्रदर्श डी-3 प्रस्तुत की है।

10. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख प्रदर्श पी-1 में ग्राम मानेगांव तहसील बैहर की भूमि सर्वे क्रमांक-29, 31, 12/26 रकबा क्रमशः 5.49, 2.00, 0.12 कुल रकबा 7.61 में अगरसिंह नाबालिग वली माँ बेवा सेवन्तीबाई का नाम वर्ष 2014-15 के खसरा पांचसाला प्रदर्श पी-3 प्रदर्श पी-5 की किश्तबंदी खतौनी में भूमि सर्वे क्र-12/3 रकबा 0.165 एकड़ भूमि पर मृतक प्रति.क्र-1 अगरसिंह एवं वादिनी की माँ सामकुंवरबाई का नाम भूमि स्वामी आधिपत्यधारी के रूप में प्रदर्श पी-4 की किश्तबंदी खतौनी में भूमि सर्वे क्र-79/4 रकबा 0.5660 पर अगरसिंह का नाम प्रदर्श पी-9 लगायत 12 के राजस्व दस्तावेजों में उल्लेखित भूमि पर मृतक प्रति.क्र-1 एवं वादिनी की माँ का नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। ख.नं-12/26 रकबा 0.049 हेक्टेयर भूमि, ख.नं-31 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि ख.नं-29 रकबा 2.222 हेक्टेयर भूमि के नक्शा प्रिंट आउट प्रदर्श पी-6 लगा. 8 पर मृतक प्रति.क्र-1 एवं वादिनी की माँ का नाम दर्ज है। साहेबलाल प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-8 में यह स्वीकार किया है कि भूमि सर्वे क्र. 29, 31, 12/26 के सर्वे नंबर की भूमि स्व. अगरसिंह एवं वादिनी की माँ सामकुंवरबाई की खानदानी भूमि है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-10 में बताया है कि खानदानी भूमि में सामकुंवरबाई को उसका कोई हक-हिस्सा नहीं दिया था। प्रदर्श पी-1 के अधिकार अभिलेख में भूमि सर्वे क्रमांक-29, 31, 12/26 पर प्रति.क्र-1 एवं वादिनी की माँ के नाम का उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादिनी की पैतृक भूमि है। इस कारण प्रदर्श पी-6 लगायत प्रदर्श पी-8 के नक्शा प्रिंट आउट एवं प्रदर्श पी-9 के खसरा पांचसाला प्रदर्श पी-10, 11, 12 की किश्तबंदी खतौनी में प्रति.क्र-1 एवं वादिनी की माँ का नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेजों में उल्लेखित सर्वे क्रमांक की

भूमियों पर वादिनी की मृतक माँ सामकुंवरबाई एवं मृतक प्रति.क-1 अगरसिंह के नाम पर शामिल-सरीक रूप से दर्ज हुई थी। वादिनी की माँ ने पैतृक भूमि के संबंध में कोई हक नहीं त्यागा था। इसके उपरान्त मृतक प्रति.क-1 ने वादिनी की माँ के पैतृक भूमि में हक त्यागने से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये बिना प्रदर्श पी-2 की संशोधन पंजी के द्वारा विवादित पैतृक भूमि के सर्वे क्रमांक-31 में से 0.405 हे. स्वयं के नाम सर्वे क्रमांक-29 रकबा 2.222, सर्वे क 31 में से रकबा 0.404, सर्वे क-12/26 रकबा 0.049 एवं प्रति.क.1 द्वारा कय की गई भूमि सर्वे क-12/3 रकबा 0.165, सर्वे क-79/4 रकबा 0.566 कुल रकबा 3.406 एकड़ भूमि स्वयं के नाती प्रति.क-2 लगायत 3 के नाम पर दर्ज करा ली थी। जबकि मृतक प्रति.क-1 अगरसिंह को पैतृक भूमि सर्वे क्रमांक-29, 31, 12/26 की संपूर्ण भूमि पर उसके नाती रमेश, रामेश्वर के नाम पर दर्ज कराने का अधिकार नहीं था।

11. प्रकरण के प्रति.क-1 स्व. अगरसिंह ने भूमि सर्वे क्रमांक-79/4 रकबा 0.566 भूमि भीकमलाल से कय की थी, जिसका विक्रयपत्र प्रदर्श डी-1 है एवं अगरसिंह ने दिनांक-16.05.99 को भूमि सर्वे क्रमांक-12/3 रकबा 0.41 एकड़ भूमि सोनूसिंह से कय की थी, उन विक्रयपत्रों में उल्लेखित भूमि परिवार की आय से कय की थी या अगरसिंह ने स्वयं की आय से कय की थी, ऐसा नहीं लिखा है। वादिनी के पिता समरू ने दिनांक-16.06.80 के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रदर्श पी-3 के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक-54/1 में से 1.50 एकड़ भूमि घूसी से कय की थी। वादिनी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-12 में यह बताया है कि भूमि ख. नं-54/1 ग्राम पिपरटोला की उसकी माँ ने स्वयं की कमाई से कय की थी एवं वादिनी के पिता के नाम से रजिस्ट्री कराई थी। प्रदर्श डी-3 के विक्रयपत्र में यह भी उल्लेख नहीं है कि उक्त भूमि किसकी आय से कय की गई थी। इस कारण यह नहीं माना जा सकता है कि प्रति.क-1 ने परिवार की आय से वादिनी के पिता को भूमि कय कर दी थी। प्रदर्श डी-1 एवं प्रदर्श डी-2 के विक्रयपत्रों में भी यह उल्लेख नहीं है कि अगरसिंह ने किसकी आय से उक्त विक्रयपत्रों में उल्लेखित भूमि कय की थी। इस कारण प्रदर्श डी-1 एवं प्रदर्श डी-2 के विक्रयपत्रों में उल्लेखित भूमि पैतृक भूमि नहीं मानी जाती है। प्रदर्श पी-1 के अधिकार अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उक्त अधिकार अभिलेख में उल्लेखित भूमि वादिनी की पैतृक भूमि है, इस कारण वादिनी को उसके हिस्से की भूमि के संबंध में स्वामी माना जाता है एवं वादिनी अधिकार अभिलेख में उल्लेखित पैतृक भूमि के संबंध में अपना हिस्सा 1/3 प्राप्त करने की अधिकारी है एवं प्रदर्श डी-1 एवं

प्रदर्श डी-2 के विक्रयपत्र में उल्लेखित भूमि पर वादिनी कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

वादप्रश्न क्रमांक-3 का निराकरण

12. हिरनबाई वा.सा.1 का कथन है कि विवादित भूमि पर उसकी माँ की मृत्यु होने के पश्चात् फौती दाखिला शामिल-सरीक रूप से उसके नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज होना था, किन्तु प्रतिक-1 अगरसिंह ने वादिनी का हिस्सा हड़पने के लिए गैर कानूनी रूप से वादिनी की माँ का नाम विवादित भूमि से विलोपित करवाकर विवादित भूमि का बंटवारा कराकर खसरा क्रमांक-31 में से 1 एकड़ भूमि स्वयं के हक हिस्से तथा प्रदर्श पी-2 की संशोधन पंजी क्रमांक-20 दिनांकित-06.03.2014 के द्वारा शेष भूमि मृतक प्रतिक-1 ने उसके नातियों के नाम पर दर्ज करवा ली थी। उक्त संशोधन पंजी को वादिनी ने उस पर बंधनकारी नहीं होना बताया है। वादिनी की इस साक्ष्य का समर्थन वादिनी के साक्षी थानसिंह वा.सा.2, कन्हैयालाल टेम्भरे वा.सा.3, रामचरण मरकाम वा.सा.4, नंदुलाल मराठे वा.सा.5 ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है।

13. साहेबलाल प्र.सा.1 ने खण्डन में बताया है कि ख.नं-29, 31, 12/26 कुल लगभग 7.61 एकड़ भूमि सेवन्तीबाई एवं स्व. अगरसिंह के शामिल-सरीक हक की भूमि थी, जिसमें से आधी भूमि 3.30 एकड़ भूमि अगरसिंह की भूमि थी तथा शेष 3.30 एकड़ भूमि पर सेवन्तीबाई के वारसान अगरसिंह एवं सामकुंवरबाई को समान अधिकार प्राप्त होना था, जो लगभग 1.50 एकड़ भूमि होती है। वादिनी की माँ सामकुंवरबाई के पति के नाम से 1.50 एकड़ भूमि स्व. अगरसिंह एवं सेवन्तीबाई द्वारा खरीदकर दी थी एवं वादग्रस्त भूमि पर सामकुंवरबाई का हक समाप्त हो चुका है। प्रतिवादी की उक्त साक्ष्य का समर्थन प्रेमलाल प्र.सा.2 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है। प्रदर्श डी-3 के विक्रयपत्र के द्वारा वादिनी के पिता ने 1.5 एकड़ भूमि क्रय की थी। उक्त भूमि का सर्वे क्रमांक एवं प्रदर्श पी-1 के अधिकार अभिलेख में उल्लेखित वादिनी की पैतृक भूमि के सर्वे नंबर अलग है। प्रदर्श डी-3 के विक्रयपत्र में यह भी नहीं लिखा है कि उक्त विक्रयपत्र में उल्लेखित भूमि ख.नं-54/1 में से 1.50 एकड़ भूमि वादिनी के पिता को स्व. अगरसिंह एवं सेवन्तीबाई ने उनकी आय से क्रय कर दी थी। इस कारण यह नहीं माना जा सकता है कि वादिनी के पिता को प्रतिक.1 स्व. अगरसिंह एवं स्व. सेवन्तीबाई ने उनकी आय से भूमि क्रय कर दी थी। प्रदर्श पी-2 की संशोधन पंजी में उल्लेखित भूमि सर्वे क्र. 29, 31, 12/26 की भूमि

वादिनी की पैतृक भूमि है एवं उक्त संशोधन पंजी के द्वारा स्व. अगरसिंह ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर पैतृक भूमि को अकेले स्वयं के नाम पर एवं अपने नातियों के नाम पर करा ली है, जबकि उक्त भूमि में वादिनी का हक व हिस्सा बनता है। इस कारण यह प्रमाणित माना जाता है कि संशोधन पंजी क्र-20 आदेश दिनांकित-06.03.2016 अवैध होने से प्रभावशून्य है।

वादप्रश्न क्रमांक-4 सहायता एवं व्यय

14. वादिनी प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में भूमि सर्वे क्र-29 रकबा 2.222, सर्वे क्र-31 रकबा 0.809, सर्वे क्र-12/26 रकबा 0.049 हे. भूमि मौजा मानेगांव प. ह.नं-02 रा.नि.मं. दमोह तह. बिरसा जिला बालाघाट के संबंध में अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रही है। वादिनी भूमि सर्वे क्र-12/3 रकबा 0.165 हे. भूमि सर्वे क्र-79/4 रकबा 0.566 हे. भूमि मौजा मानेगांव प.ह.नं-02 रा.नि.मं. दमोह तह. बिरसा जिला बालाघाट की भूमि के संबंध में अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रही है। अतः वादिनी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

- 1- यह घोषित किया जाता है कि वादिनी भूमि सर्वे क्र-29 रकबा 2.222, सर्वे क्र-31 रकबा 0.809, सर्वे क्र-12/26 रकबा 0.049 हे. भूमि मौजा मानेगांव प.ह. नं-02 रा.नि.मं. दमोह तह. बिरसा जिला बालाघाट की भूमि की 1/3 भाग की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।
- 2- यह प्रमाणित माना जाता है कि वादिनी भूमि सर्वे क्र-29 रकबा 2.222, सर्वे क्र-31 रकबा 0.809, सर्वे क्र-12/26 रकबा 0.049 हे. भूमि मौजा मानेगांव प. ह.नं-02 रा.नि.मं. दमोह तह. बिरसा जिला बालाघाट की भूमि में 1/3 अंश का पृथक से बंटवारा कराने की अधिकारी है।
- 3- यह प्रमाणित माना जाता है कि संशोधन पंजी क्र.20 आदेश दिनांक-06. 03.14 अवैध होकर वादिनी पर अबंधनकारी है।
- 4- प्रतिवादीगण वादिनी का वाद व्यय वहन करेंगे।
- 5- अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित।

सही / -

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट